

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(40)RSMSSB/अर्थना/ग्रा.प.रा./ग्रा.से./2016/475

दिनांक : 29.09.2016

विज्ञापन सं. 09/2016

ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु

संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2016

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अन्तर्गत ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिये राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अन्तर्गत छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II निम्नलिखित स्थाई पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	पद कोड संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
			गैर-अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	01	ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव	3137	511	3648
2.	02	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II	265	35	300

विशेष नोट :- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन एवं उसकी अभ्यर्थिता व परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन पूर्णतः अनन्तिम होगा।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन होगी।

- 1. आवेदन प्रक्रिया :-** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क /जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail ID बना ले एवं E-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/ जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा करावें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। यदि आवेदन Submit करने एवं

फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। अभ्यर्थी सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन-पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:-

1. ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों की वरियता सूची(Merit List) पद कोड संख्या के क्रम 01 एवं 02 के अनुसार ही तैयार की जायेगी। वरियता सूची(Merit List) में से वरियता के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा उसके बाद छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों को भरा जायेगा।
2. पद कोड संख्या 01 ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद के लिये परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों से जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों का प्राथमिकता क्रम यथा समय भरवा लिया जावेगा। तत्पश्चात् जिले का आर्वटन वरियता सह प्राथमिकता (Merit cum Priority) के आधार पर किया जावेगा।
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
5. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मारें।
6. कृपया ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन भरें।

2. परीक्षा शुल्क :- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

- (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 650/-
 (ख) राजस्थान के नॉन कीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु - रुपये 450/-
 (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु - रुपये 350/-

नोट:-

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
3. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे और चयन बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब-साइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना परीक्षा की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से भेजी जा सकती है।

4. ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण :-

पद कोड संख्या : 01

ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद कोड संख्या 01 गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3137 पदों एवं अनुसूचित क्षेत्र के 511 कुल 3648 पदों के जिलेवार एवं श्रेणीवार लम्बवत् (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का वर्गीकरण अलग से सूचित किया जायेगा।

5. छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण :-

पद कोड संख्या : 02

छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II पद कोड संख्या 02 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 265 पदों एवं अनुसूचित क्षेत्र के 35 कुल 300 पदों का श्रेणीवार लम्बवत् (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का वर्गीकरण अलग से सूचित किया जायेगा।

नोट:-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं।
2. अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
3. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
5. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, विशेष योग्यजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
6. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की कुल संख्या अथवा वर्गवार आरक्षित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

विशेष सूचना-

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अस्थायी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अस्थायियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विधिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अस्थायी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह -विधिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अस्थायी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विधिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
5. विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2)/डीओपी/ए-पा/2015-(1) दिनांक 16.10.2015 के अनुसार राजस्थान राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग(राजस्थान की अनुसूचित जाति/राजस्थान की अनुसूचित जनजाति/राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अस्थायियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
8. बारा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बारा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पाट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
12. भूतपूर्व सैनिकों हेतु:- भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा।
13. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :-

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।
या
4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना साक्ष्य गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

14. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिये आरक्षण संबंधी प्रावधान :-

1. ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद कोड 01 के लिये:-

राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 एवं उक्त नियमों के नियम 38(2) के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 10.06.2016 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय है :-

1. One leg permanent physical impairment 40 to 70%
2. Permanent visual impairment 40% to 50%
3. Permanent hearing impairment 40 to 70% in the worse ear

2. छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद कोड 02 के लिये :-

राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार निः शक्तता से संबंधित अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है:-

1. B/LV (blindness/low vision)
2. HI(Hearing Impairment)
3. LD/CP(Locomotor Disability and Cerebral Palsy)

ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 2(1)(b) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

नोट:-

- a. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- b. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकार व संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 38(4)के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।
- c. विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

6. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम -1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के प्रावधान एवं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II पद हेतु राजस्थान सामाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 लागू होंगे।
3. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में उपलब्ध है।
4. परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों में यथा-उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है/चुकी है या उपस्थित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
5. निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
6. रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिकों जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित किया गया था के लिए उपर्युक्त उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
7. राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. कैडेट अनुदेशकों (Cadet Instructors) के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

7. **वेतनमान :-** ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड (5200-20200रु) ग्रेड पे रु 2400/- मासिक नियत पारिश्रामिक नियमानुसार।

8. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

(i) विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता और

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एकीडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स (DOEACC) द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्चतर लेवल प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम।

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय परिषद (नेशनल कॉसिल)/राज्य परिषद (स्टेट कॉसिल) के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (COPA)/DATA प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (DPCS) प्रमाण-पत्र।

या

भारत में विधि द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

सरकार से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

या

राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी (RS-CIT) में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।

(ii) देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

अन्य योग्यताएँ :-

- (1) **स्वास्थ्य** :- ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- (2) **चरित्र** :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

9. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
- नोट:-**परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10 आयु :-

1. **ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव पद कोड 01 के लिये:-**
आवेदक 1, जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो।
2. **छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद कोड 02 के लिये :-**
आवेदक 1, जनवरी 2017 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 35 वर्ष का नहीं हुआ हो।

परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क-II/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।"

स्पष्टीकरण:- ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2011 एवं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद की भर्ती परीक्षा वर्ष 2007-08 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी :-

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :-
(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. विधवाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. राजस्थान निशक्त व्यक्तियों का (समान निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) नियोजन नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी:-

1. सामान्य वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 10 वर्ष
2. पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 13 वर्ष
3. अ0जा0/अ0ज0जा0 के विशेष योग्यजन हेतु 15 वर्ष
4. ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैंदी की दशा में जो अपने दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर कालावधि तक शिथिल की जायेगी।

पद कोड सं. 01 ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव के लिये आयु में छूट के अतिरिक्त प्रावधान :-

1. ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैंदी के मामले में लागू नहीं होगी जो उसकी दोषसिद्धि से पूर्व किसी भी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) आधार पर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधीन सेवा कर चुका है और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र था।
2. भूतपूर्व सैनिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
3. पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. पंचायतों के सचिव के रूप में पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिये ऊपरी आयु सीमा, 3 वर्षों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये, पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।
5. जो व्यक्ति किसी पंचायत समिति या किसी जिला परिषद के अधीन अपनी अस्थाई नियुक्ति के समय विहित आयु सीमा के भीतर थे, उनके लिये ऊपरी आयु सीमा, पंचायत समिति या जिला परिषद के अधीन उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक शिथिलनीय होगी।
6. हैण्ड-पम्प मिन्ट्री के रूप (नियम-259 के उपनियम (5-ख) के अधीन नियुक्त) के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। वरन् ऐसे व्यक्तियों ने अधिवार्षिकी आयु प्राप्त नहीं की हो।

पद कोड सं. 02 छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पद के लिये के लिये आयु में छूट के अतिरिक्त प्रावधान :-

1. भूतपूर्व कैंदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
3. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
4. एन.सी.सी. के कैंडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
5. राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम-1963 के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में सेवारत कर्मिकों को उच्चतर पद की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी। यह छूट केवल 02 अवसरों तक देय होगी।
6. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

नोट:-

- (क) भूतपूर्व सैनिक/संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक भूतपूर्व सैनिक/संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी और आवेदक को अधिकायु का होने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम-1996, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त बिन्दु 10 के आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

11. पेंशन:-

नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

12. **विवाह पंजीयन** :- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

13. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि -

- (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 01.10.2016 को रात्री 12.00 बजे से 31.10.2016 को रात्रि 12 बजे (ई-मित्र एवं जन सुविधा केन्द्र पर रात्रि 8 बजे) तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2016 को रात्री 12.00 बजे से 31.10.2016 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

14. **परीक्षा का माह एवं दिनांक**:- ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु परीक्षा दिनांक 18.12.2016 को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर करवाई जायेगी। परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों की भर्ती के लिये परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

15. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में** :- सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

16. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांटा-छांटा किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

17. आवेदन कैसे करें:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:-

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाम विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियों बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**
फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
 - a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 - e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 - h. फोटो जेपीईजी (JPG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साइज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
 - i. फोटो जेपीईजी (JPG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।
 - j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
 - k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

1. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
- परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280×80 से अधिकतम पिक्सेल 560×160 होना चाहिए।
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
- हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:-

- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निम्नलिखित तरीके से शुल्क 100/- रु जमा करना अनिवार्य है। इसकी प्रकिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
- परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैंड/रेलवे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्पाही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की नहीं होगी।
- जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेयूल्शन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मिलित है।
- सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

18. श्रुत लेखन की सुविधा:-

सामान्यतया: सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ हैं, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

19. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:— आवेदक को वर्ग विशेष(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. जाति प्रमाण -पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।

20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:— आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :-

ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव तथा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:-

1. प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ(Objective) प्रकार के होंगे व सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
2. मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जायेंगे।
3. परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

22. बोर्ड की वेबसाइट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़)
सचिव